प्रति,

मा. प्रबंधक महोदय,

पॉवरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

पश्चिमी क्षेत्र II, चंदनगांव, नागपूर रोड, छिंदवाडा

अर्जदार :- श्री. मनोहरलाल नथमल गांधी, मो. नं. 9422502811

मु.पो. केळवद, तह. सावनेर, जि. नागपूर

संदर्भ :- आपका दि. 02/03/2017 का पत्र प्राप्त दि. 07/04/2018

विषय :- मेरे औदयोगिक अकृषक भुमी मे आपके द्वारा निर्मित किये जा रहे टॉवर एंव पारेशन लाईनबाबत।

महोदय,

मेरी मौजा. रायबासा, तालुका - सावनेर, जि. नागपूर मे खसरा क्र 312, 313/1, 312,313/2, 312,313/3, 312,313/4, औदयोगिक अकृषक भुमी रकबा (आराजी) 4.82 हेक्टर आर है। यह संपुर्ण भुमी मा. जिल्हाधिकारी नागपूर इनके अकृषक आदेश रा.मा.क्र. 57/एनएपी 34/2016-17 के तहत औदयोगिक उपयोग के लिये अकृषक कि गयी है। यह जमिन वंश परंपरागत रुप से मेरे पास है। इस औदयोगिक जमिन के मध्य क्षेत्र मे आपके कंपनीद्वारा 765 के.व्ही. डबल सर्किट गाडरवाडा-वरोरा पारेषण लाईन का निर्माण कार्य दि. 27/03/2018 से शुरु है। इस औदयोगिक अकृषक जमीन के मध्यक्षेत्र मे निर्मानाधिन टॉवर एवम जा रहे पारेषन लाईन से मुझे आर्थीक नुकसान एवम मानसिक परेशानी हो रही है। इस संबंध मे मुआवजा एवम क्षतीपुर्ती तय करते वक्त मेरे निम्नलिखित मुद्दोपर गंभिरतापुर्वक विचार किया जाना चाहिए।

Scanned by CamScanner

1) जमिन के मध्य क्षेत्र मे निर्मित टॉवर एवम मध्य क्षेत्र से जानेवाली पारेषन लाईन के वजह से मेरे पुरे जमीन कि औदयोगिक उपयुक्तता (योग्यता) खत्म हो रही है। जमिन का औदयोगिक एवम वाणिजिक उपयोग लेने का मेरा संवैधानिक अधिकार/हक्क अवरुध्द/ नष्ट हो रहा है।

2) संबंधीत जमीन की लंबाई, चौडाई एवम पारेषन लाईन की लंबाई चौडाई को ध्यान मे रखकर मध्यभाग मे निर्मित टॉवर एवम मध्य क्षेत्र से जा रही पारेषन लाईन की वजह से इस औदयोगिक भुमी का संपूर्ण क्षेत्र बाधित क्षेत्र माना जाए। एवम संपुर्ण क्षेत्र का मुआवजा एवम क्षतिपुर्ती दी जाए।

3) कृषी उपयोगी भुमी मे किसान टॉवर के निचे एवम पारेषन लाईन के नीचे फसल कि उपज ले सकता है। लेकिन औदयोगिक उपयोग की भुमी मे एवम नियमानुसार आसपास ढाचागत औदयोगिक एवम वाणिज्यिक निर्माण कार्य नही कर सकता। इसलिए संपूर्ण जमीन क्षेत्र का मुआवजा एवम क्षतिपुर्ती रेडी रेकनर रेट के 200% दिया जाए।

4) गैरकृषी उपयोगी औदयोगिक भुमी के मध्य क्षेत्र मे आनेवाले टॉवर एवम मध्य क्षेत्र से जानेवाली पारेषन लाईन से निर्मित प्रतिबंधात्मक क्षेत्र का रकबा तथा मुआवजा एवम क्षतिपुर्ती निश्चित करणे के लिए, नगर रचना विभाग (नगर निवेश विभाग) के अधिकारी की अधिकारीक समिती मे नियुक्ती आवश्यक है।

5) मैने मेरे छोटे पुत्र को कारखाना शुरु करणे के दृष्टीकोन से संबंधीत उच्च शिक्षा दि है। एवम उसकी उच्च शिक्षा (B.Sc. Biotech. MBA) पुर्ण हो गई है। इस दुविधापूर्ण स्थिती मे मेरे पुत्र के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया है।

Scanned by CamScanner

6) इस जमिन का औद्योगिक एवम वानिज्यिक उपयोग ना कर पाने से मेरे भविष्य के संभावित नुकसान का भी मुआवजा एवम क्षतिपुर्ती मुझे दि जाए।

7) रायबासा केलवद मार्ग को लगकर यह मेरी वंश परंपरागत जमीन है। नियोजित कारखाना शुरु करणे के लिए अब अन्यत्र उपयुक्त जमीन मेरे पास नही है।

ऐसे अपवादात्मक एवम दुविधापुर्ण स्थिती मे मेरे निवेदन पर गंभिरता पुर्वक विचार आवश्यक है।

दि. 12/04/2018

अर्जदार

(श्री. मनोहरलाल नथमल गांधी)

संलग्न :-

1) अकृषक आदेश
2) सातबारा उतारा.
3) उद्योग आधार नोंदणी प्रमाणपत्र
4) स्थानदर्शक नकाशा
5) शैक्षणिक प्रमाणपत्र
6) मुल्यांकन पत्र

भारतीय डाक
India Post
Rs.12/-
POD CASH
EM462375110IN IVR:6977462375110
SP NAGPUR BNPL COUNTER <440001>
Counter No:1,14/04/2018,17:24
To:DY GM.,WESTERN REGION II
PIN:462016, R.S.Nagar S.O
From:MONOHARLAL GANDHI,NAGPUR
Wt:85gms
Amt:47.20(Cash)Tax:7.20
<Track on www.indiapost.gov.in>

प्रतिलीपी :-

1) मा. जिल्हाधिकारी नागपूर, विभाग नागपूर
2) मा. उपविभागीय अधिकारी, सावनेर
3) मा. उप महाप्रबंधक, पॉवरग्रिड कॉ. ऑफ इंडीया, भोपाल

Recieved
DDongre 13/4/18
दुर्गेश डोंगरे/ DURGESH DONGRE
कनि. अभियंता/Jr. Engineer
पावरग्रिड छिंदवाड़ा/ Powergrid Chhindwara

13/04/18
आवक जावक लिपिक
उपविभागिय अधिकारी कार्यालय
सावनेर

16/4/18